

सं.मानू/प्रशासन/मि.120/2018-19/561


25 जून, 2018

कार्यालय आदेश

- विषय : मानू - प्रशासन - दिनांक 01.01.2018 तत्काल प्रभाव से संशोधित दरों पर महँगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में - आदेश जारी ।
- संदर्भ : 1. वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 15.03.2018 जारी कार्यालय ज्ञापन सं.1/1/2018- ई.॥ (बी)
2. दिनांक 25.06.2018 को कुलपति द्वारा अनुमोदित।

संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन पा रहे, मानू के कर्मचारियों को महँगाई भत्ता 5 % की मौजूदा दर से 7% की बढ़ी हुई दर पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 01.01.2018 से भुगतान हेतु अनुमोदित किया गया है, जो कि भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त संदर्भ के तहत उद्धृत कार्यालय ज्ञापन में उल्लेखित है।

#आदेशानुसार#


कुलसचिव

वित्त अधिकारी(संदर्भ के अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन की प्रति के साथ)

सभी अध्ययन विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष
सभी विभागाध्यक्ष (शैक्षणिक)/ केन्द्र/ डीडीई
सभी अनुभाग अधिकारी/ प्रभारी (गैर-शैक्षणिक)
पॉलिटेक्नीक एवं आईटीआई और मॉडल स्कूल

प्रति

कुलपति/सम-कुलपति/कुलसचिव कार्यालय
निदेशक डीडीई/ परीक्षा नियंत्रक
निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
उर्दू अनुवाद हेतु उर्दू अधिकारी/ हिन्दी अनुवाद हेतु हिन्दी अधिकारी
संबंधित मिसिल